

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 358]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 अगस्त 2019—श्रावण 31, शक 1941

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2019

अधि.क्र. 17 एफ 1-19/2018/18-3 म0प्र0 नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद चुरहट जिला सीधी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 14, रावसागर वार्ड (2) वार्ड क्र0 05, वाणसागर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 02, इन्दिरा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 04, मौलाना आजाद वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 01, राजेन्द्र वार्ड (2) वार्ड क्र0 03, शिवराज बहादुर वार्ड (3) वार्ड क्र0 12, अर्जुन वार्ड (4) वार्ड क्र0 15, सोनभद्र वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 14, रावसागर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र0 02, इन्दिरा गांधी वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 01, राजेन्द्र वार्ड (2) वार्ड क्र0 03, शिवराज बहादुर वार्ड

7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र0 06, राजीव वार्ड (2) वार्ड क्र0 07, सुभाष वार्ड (3) वार्ड क्र0 09, सरदार पटेल वार्ड (4) वार्ड क्र0 11, गांधी वार्ड
---	---	----	---

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2019

अधि. क्र. 17 एफ. 1-19-2018-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 17 एफ. 1-19-2018-अठारह-3, दिनांक 22 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd August 2019

Not- No 17 F 1-19/2018/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad Churhat, District Sidhi published as Follows.

No.	Reserved wards for Category	Total wards	Reserved ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	(1) Ward No.14- Rao Sagar ward (2) Ward No.0 5- Wansagar ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	02	(1) Ward No. 02- Indira Gandhi ward (2) Ward No. 04- Maulana Azad ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Caste	04	(1) Ward No. 01- Rajendra ward (2) Ward No. 03- Shivraj Bahadur ward (3) Ward No. 12- Arjun ward (4) Ward No. 15- Sonbhadra ward
4	No. of Wards Reserved for Scheduled Caste's (Women)	01	(1) Ward No. 14- Rao Sagar ward
5	No. of Wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	01	(1) Ward No. 02- Indira Gandhi ward
6	No. of Wards Reserved for Other Backward Caste (Women)	02	(1) Ward No. 01- Rajendra ward (2) Ward No. 03- Shivraj Bahadur ward

7	No. of Wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 & 6) (women)	04	(1) Ward No. 06- Rajiv ward (2) Ward No. 07- Subhash ward (3) Ward No. 09- Sardar Patel ward (4) Ward No. 11- Gandhi ward
---	--	----	--

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.